



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
लिमिटेड कम्पनी  
केन्द्रीय राज्य फार्म,  
सूरतगढ़  
फ़ोन -01509-223877

**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
Central State Farm, Suratgarh  
Website: www.indiaseeds.com  
PHONES : 01509-220084, 223874, 221420, 223876  
e-mail – CSFSURATGARH@rediffmail.com

क्रमांक सी.एस.एफ/सूरत/सुरक्षा/04/2018-19

दिनांक 03.05.2018

### निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज.) में फार्म की सुरक्षा हेतु गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका देने की अवधि दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक निविदाएं दिनांक 28.05.2018 को दोपहर 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर 3:00 बजे फार्म की गठित समिति द्वारा निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र 07.05.2018 से 26.05.2018 तक रु. 100/- देकर फार्म कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। परंतु डाऊनलोड किए गए प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रु. 100.00 व प्रत्येक ठेके लिए वर्णित निश्चित धरोहर राशि रुपये 50,000 का बैंक ड्राफ्ट National Seeds Corporation Ltd. Payable at Suratgarh निविदा के साथ जमा करवाने होंगे।

*Va Prakash*  
सुरक्षा अधिकारी  
कृत निदेशक

## फार्म मुख्यालय परिसर स्थित संपदा एवं गेट हेतु सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने बाबत ठेका।

1. फार्म संपदा, चल अचल संपत्ति एवं अन्य संसाधनों को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु "जो जहाँ है, जैसे के आधार पर" चौबीस घंटे सातों दिन सुरक्षा हेतु मानव संसाधन की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत निविदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। करार की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक साल तक होगी।
2. निविदाता निविदा के नियम एवं शर्तों की प्रति निविदा शुल्क रु.100/- का भुगतान कर फार्म के सुरक्षा विभाग से किसी कार्य दिवस के दिन दिनांक 17<sup>5</sup>/<sub>18</sub> से 24<sup>5</sup>/<sub>18</sub> तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म निगम की वेबसाईट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाईट से डाऊनलोड किए गए निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म शुल्क के रूप में रु. 100/- (Non-refundable) की डी.डी. जो National Seeds Corporation Ltd, Suratgarh, Payable at Suratgarh लगाना आवश्यक है।
3. निविदाता भरे हुई निविदा दिनांक 28<sup>5</sup>/<sub>18</sub> को समय 1.30<sup>0</sup> तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निर्धारित तिथि दिनांक 28<sup>5</sup>/<sub>18</sub> एवं समय 12.00 तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बीड उसी दिन 15.00 बजे खोली जायेगी तथा तकनीकी रूप से बैंड पाई गई निविदाताओं को वित्तीय बीड सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत उत्तरोत्तर खोला जायेगा।
4. निविदादाता पार्टियों के पास संबंधित सरकारी/अर्धसरकारी/सरकारी उपक्रम में संतोषजनक मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इस बाबत पार्टियों को संबंधित संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
5. पार्टियों को तकनीकी निविदा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, फर्म पंजीकरण, सर्विस टैक्स संख्या, ईपीएफ पंजीकरण संख्या, ई.एस.आई पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो तो) पैन कार्ड संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र, लेबर लाइसेंस पूर्व में कराये गये कार्य हेतु (यदि कोई हो तो) एवं PSA License की प्रति एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो लगाना आवश्यक है। साथ ही पार्टी को एक शपथ पत्र सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। यदि किसी पार्टी के लेबर विभाग में फर्म का पंजीकरण कराये जाने /कराने की प्रति एवं PSA License नहीं है, तो उन्हें इस बाबत Undertaking देनी होगी कि वे Labour License/ PSRA License की प्रति ऑफर जारी होने के 03 माह के अंदर जमा करा देंगे, जमा न कराने की स्थिति में फार्म प्रबंधन पार्टी द्वारा जमा कराई गई अमानत /प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ-साथ उनका ठेका रद्द कर सकता है।
6. निविदा के नियम शर्तों की स्वीकारोक्ति हेतु पार्टी को नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए दस्तावेज उनके द्वारा स्व-सत्यापित हैं।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड बाग व gate की धरोहर राशि 20000/- (बीस हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि

National Seeds Corporation Ltd. Suratgarh, Payable at Suratgarh तकनीकी निविदा के साथ जमा कराना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

8. सफल निविदाता को सुरक्षा ठेके के लिए रु. 250000/- ( दो लाख पचास हजार मात्र) (धरोहर राशि व प्रतिभूत राशि मिलाकर) जमा कराना होगा। सफल निविदाता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूत राशि में समायोजित कर दी जायेगी, जो संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने पर ब्याज मुक्त रूप से पार्टी को वापस की जायेगी। बाग व गेट के लिए टोटल पचास - पचास हजार रुपये जमा करना होगा।
9. धरोहर राशि / प्रतिभूत राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदादाता को उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निश्चित अवधि के अंदर उनके लिखित अनुबंध पर उत्तरांतर वापस की जायेगी।
10. ठेकेदार एवं उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर्यावरण, जलीय श्लैथीय जीव जन्तुओं, जंगली जानवरों, मंत्र, तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेंगे और नहीं पहुँचाने देंगे।
11. ठेकेदार किसी भी प्रकार के फार्म उत्पाद जैसे पेड़ पौधे, लकड़ी दवा रासायनिक खाद, डीजल, फार्म की मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नहीं ले जाने देगा और न छुद ले जायेगा। ठेकेदार फार्म के संसाधनों को नुकसान से बचाने हेतु सख्त/सुदृढ़ व्यवस्था रखेगा। ऐसे किसी भी शिकायत के प्रमाणित होने पर, ठेकेदार उक्त हानि के लिए फार्म को क्षतिपूर्ति करेगा।
12. यदि ठेकेदार आवंटित फार्म के क्षेत्र में संदिग्ध अपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबंधित करेगा फिर भी यदि आवंटित क्षेत्र में किसी प्रकार की अशांतिपूर्ण घटना घटित होती है तो इसके लिए ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।
13. ठेकेदार को फार्म संपदा को बचाने हेतु विभिन्न चको/पोइन्टों/संवेदनशील पाइन्टो इत्यादि जिनकी जानकारी समय समय पर फार्म प्रबंधन द्वारा दी जायेगी पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ भी उसके सुरक्षा गार्ड तैनात है वहा दूतरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद ही पहला सुरक्षा गार्ड चको/पाइन्ट से जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड पूरे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
14. सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जायेगा जिसका चाल-चलन सही हो तथा वे निगम की काली सूची में न हो। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति से संबंधित पार्टी को ठेका नहीं दिया जायेगा, जैसे उनकी पत्नी/पुत्र व अन्य नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि।
15. ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार या सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड किसी भी फार्म अधिकारी/कर्मचारी व कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार से किसी भी प्रकार का विवाद/झगड़ा इत्यादि नहीं करेंगे। कोई विवाद होने पर इसकी रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को देंगे।
16. कार्य आदेश जारी होने के पश्चात ठेकेदार स्वयं भी फार्म से संबंधित खण्ड/ईलाई में उपस्थित रहेगा। ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके को किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नहीं देगा

अर्थात् Sub-letting नहीं करेगा। ठेकेदार प्रतिदिन फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी से मिलकर उन्हे फार्म सम्पदा को बचाने हेतु लगाए गए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था से अवगत करावेगा तथा इस बाबत प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। निर्देशों की अवेहलना की स्थिति में फार्म प्रबंधक उनका ठेका रद्द करने के साथ-साथ उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।

17. ठेकेदार किसी भी प्रकार के बाहरी विवाद/झगडा/संसाधनों की बर्बादी व चोरी होने की रिपोर्ट स्वयं पुलिस थाने में करेगा। इस प्रकार के किसी भी विवाद की स्थिति में खर्च का वहन स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा इस संबंध में फार्म कोई भी खर्च वहन नहीं करेगा। एफआईआर की छाया प्रति फार्म के सुरक्षा अधिकारी को भी प्रस्तुत करनी होगी।
18. सुरक्षा गार्ड की तैनाती हेतु फार्म ठेकेदार को किसी भी प्रकार का वाहन व संसाधन उपलब्ध नहीं करवावेगा। ठेकेदार को इन सभी संसाधनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा इस मद में आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार को त्वय करना होगा।
19. ठेकेदार से प्राप्त सुच्यवस्थित बिल का भुगतान समाप्त हुए माह के लिए क्रमशः अगले महीने में धेक द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसने लगाये गये सुरक्षा गार्ड से संबंधित ई.पी.एफ. ई.एस.आई व सेवा कर इत्यादि का भुगतान कर दिया है तथा उन्हें इस बाबत दस्तावेज लगाने होंगे। किसी भी प्रकार का टैक्स जो नियमान्तर्गत देय होगा ठेकेदार के मासिक बिल से काटा जायेगा। ठेकेदार को पैन कार्ड की एक छायाप्रति लेखा शाखा को भी देनी होगी। भुगतान सुरक्षा अधिकारी व हैड गार्ड के संतोषजनक प्रमाणन के बाद लेखा विभाग द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लागू GST जो भी नियमानुसार बनेगा वह बिल से काटा जायेगा।
20. ठेकेदार को राजस्थान में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सहित सभी श्रम कानूनों का पालन करना होगा। स्वयं उसकी व उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षा गार्ड की दुर्घटना की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में फार्म प्रबंधन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रु. 100/- (रुपये सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तों को शामिल करते हुए केंद्रीय राज्य फार्म सुरतगड से लिखित अनुबंध करना होगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा इस मद में आने वाला खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
22. ठेकेदार फार्म में सुरक्षा बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
23. ठेकेदार जो भी सुरक्षा कर्मी रखेगा उनको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उनकी मासिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को देगा।
24. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या उसके द्वारा करार के नियम एवं शर्तों की अनुपालना नहीं की जाती है तो फार्म प्रबंधन 15 दिन का नोटिस देकर उसका ठेका रद्द कर सकता है तथा वर्तमान ठेका किसी अन्य पार्टी को आवंटित किया जा सकता है। फार्म प्रबंधन ठेका रद्द करने के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को जब्त भी कर सकता है। ठेकेदार को फार्म प्रबंधन द्वारा फार्म सम्पदा के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।
25. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद/अच्छा पाये जाने की अवस्था में फार्म प्रबंधन आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि को वार्षिक आधार पर बढ़ा सकता है। जिसकी नियम शर्त पूर्ववर्ती करार के अनुरूप होगी।

26. ठेकेदार को संबंधित चक की चल-अचल सम्पत्ति जैसे खड़े पेड़ों एवं अन्य फार्म सम्पत्ति, "जो जहाँ हो" के अनुसार रात्रि व दिन में उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड को लगाना होगा। 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सुरक्षा कार्य में दक्ष सुरक्षा रक्षकों को कार्य पर लगायेगा।
27. ठेकेदार सुरक्षा गार्ड को सीटी, लाठी, टॉर्च एवं अन्य जरूरी संसाधन जो फार्म संसाधनों एवं सम्पदा को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी होगा, उपलब्ध करायेगा। ठेकेदार द्वारा लगाए गए अपने कर्मियों की पहचान पत्र देगा जो कि कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दृष्टीय रूप से लगाना होगा।
28. ठेकेदार फार्म पर किसी भी अवांछित/अपराधी सुरक्षा गार्ड को कार्य पर नहीं लगायेगा, जिससे कि फार्म का अहित हो या उसने अहित किया हो उसे नरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया हो या वह सुरक्षा गार्ड फार्म अधिकारी /कर्मचारी से द्वेष रखता हो।
29. फार्म संपदा, इसकी चल अचल संपत्ति के नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक बिल/उनके द्वारा जमा किया गया अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जाएगी।
30. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। ठेकेदार को फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड की जानकारी फार्म प्रबंधन को देनी होगी।
31. ठेकेदार फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक आधार पर निर्धारित समय में देगा तथा फार्म इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि ठेकेदार उन्हें न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक वेतन देने में असफल रहता है तो फार्म प्रबंधन सुरक्षा गार्ड को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान राजस्थान राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करेगा तथा इस मद में आने वाले खर्च की वसूली ठेकेदार को देय बिल/उसकी अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
32. ठेकेदार इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि वह फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान व जिसका रिकॉर्ड रखना होगा तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की पालना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
33. किसी भी संगठन, ट्रेड यूनियन की हड़ताल या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में ठेकेदार अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फार्म संपदा/फसलों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की ही होगी।
34. यदि ठेकेदार ठेका का कार्य बीच में छोड़ता है या इस करार के किसी नियम अथवा शर्तों का उल्लंघन करता है तो फार्म को इस करार को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके वसूले राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
35. इस अनुबंध से संबंधित किसी विवाद, झगड़े या मतभेद की स्थिति को दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि विवाद नहीं सुलझाने की स्थिति में इस करार से संबंधित पक्षकार के आग्रह पर इसके उल्लंघन से संबंधित इस प्रकार के झगड़ों, विवादों, मतभेदों या दावों को समय-समय पर संशोधित माध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा नियुक्त पंच द्वारा सुलझाया जाएगा। माध्यस्थता का स्थान सूरतगढ़ होगा तथा इससे संबंधित किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय हेतु सूरतगढ़ क्षेत्र ही मान्य होगा।

36. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक (फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा। फार्म निदेशक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताये ठेकेदार का ठेका उसे 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकते हैं।
37. यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी नियम व शर्तों का उल्लंघन करता पाया जायेगा अथवा फार्म को समूचित सुरक्षा प्रदान करने में असम अथवा फार्म की मशीनों व सम्पदा आदि की सुरक्षा करने में असम पाया जाता है तो सुरक्षा अनुबंध को खत्म किया जा सकता है। तथा ठेकेदार / फार्म को सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा ब्लॉक-टिस्ट कर दिया जायेगा एवं जमा प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।
38. यदि फार्म में कोई नुकसान होता है तो फार्म निदेशक द्वारा एक कमेटी गठित की जायेगी जो नुकसान का आंकलन करेगी। ठेकेदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति आंकलन में शामिल होगा। यदि समय पर नहीं आता है तो कमेटी का निर्णय मानना होगा।
39. फार्म की किसी भी प्रकार की मशीन, सम्पदा आदि के नुकसान/चोरी की भरपाई का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार 15 दिवस के भीतर हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक भुगतान में से की जायेगी। इस बाबत फार्म निदेशक का निर्णय ठेकेदार पर बाधित होगा।
40. ठेकेदार निगम के विरुद्ध किसी भी भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष/अपरोक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। यदि ठेकेदार निगम विरुद्ध किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके साथ हुए सुरक्षा अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा बचा हुआ कार्य उसके हर्जे खर्चे पर सम्पादित करवाया जायेगा।
41. आवारा पशुओं के फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबत जो भी संवेदनशील प्वाइंट जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जावेगी, पर चौकीदारों की नियुक्ति करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से उचित कटौती की जायेगी।
42. सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। ठेकेदार को इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वयं करनी होगी।
43. सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी खण्ड में अगर कोई चक आउट-सोसिंग के लिये दिया जाता है तो उस चक की सुरक्षा आउट-सोसिंग वाले ही करेंगे और उस चक की सुरक्षा खर्च के रुपये प्रति चक प्रतिमाह औसत के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को नहीं दिये जायेंगे।
44. जरूरत पडने पर फार्म प्रशासन द्वारा अन्य स्थानों पर भी सुरक्षाकर्मी लगाये जा सकते हैं अतः ठेकेदार को निर्देश मिलने पर अतिरिक्त स्थानों पर सुरक्षाकर्मी को नियुक्त करेगा, जिसका भुगतान उसी रेट पर किया जायेगा।
45. यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो नुकसान पहुँचायेंगे और नही उसका उपयोग करेंगे। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्म के प्रति लड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
46. यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी, सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नहीं करता है मौखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढंग से नहीं करता है तो फार्म प्रशासन के पास यह

36. किसी भी निवेदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक (फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा। फार्म निदेशक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताये ठेकेदार का ठेका उसे 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकते हैं।
37. यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी नियम व शर्तों का उल्लंघन करता पाया जायेगा अथवा फार्म को समूचित सुरक्षा प्रदान करने में असम अथवा फार्म की मशीनों व सम्पदा आदि की सुरक्षा करने में असम पाया जाता है तो सुरक्षा अनुबंध को खत्म किया जा सकता है। तथा ठेकेदार / फार्म को सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा ब्लॉक-टिस्ट कर दिया जायेगा एवं जमा प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।
38. यदि फार्म में कोई नुकसान होता है तो फार्म निदेशक द्वारा एक कमेटी गठित की जायेगी जो नुकसान का आंकलन करेगी। ठेकेदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति आंकलन में शामिल होगा। यदि समय पर नहीं आता है तो कमेटी का निर्णय मानना होगा।
39. फार्म की किसी भी प्रकार की मशीन,सम्पदा आदि के नुकसान/घोरी की भरपाई का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार 15 दिवस के भीतर हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक भुगतान में से की जायेगी। इस बाबत फार्म निदेशक का निर्णय ठेकेदार पर बाधित होगा।
40. ठेकेदार निगम के विरुद्ध किसी भी भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष/अपरोक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। यदि ठेकेदार निगम विरुद्ध किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ हुए सुरक्षा अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा बचा हुआ कार्य उसके हर्जे खर्चे पर सम्पादित करवाया जायेगा।
41. आवारा पशुओं के फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबत जो भी संवेदनशील फाईट जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जावेगी, पर चौकीदारों की नियुक्ति करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से उचित कटौती की जायेगी।
42. सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। ठेकेदार को इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वयं करनी होगी।
43. सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी खण्ड में अगर कोई चक आउट-सोसिंग के लिये दिया जाता है तो उस चक की सुरक्षा आउट-सोसिंग वाले ही करेंगे और उस चक की सुरक्षा खर्च के रुपये प्रति चक प्रतिमाह औसत के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को नहीं दिये जायेंगे।
44. जहरत पडने पर फार्म प्रशासन द्वारा अन्य स्थानों पर भी सुरक्षाकर्मी लगाये जा सकते हैं अतः ठेकेदार को निर्देश मिलने पर अतिरिक्त स्थानों पर सुरक्षाकर्मी को नियुक्त करेगा, जिसका भुगतान उसी रेट पर किया जायेगा।
45. यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो नुकसान पहुँचायेंगे और नही उसका उपयोग करेंगे। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्म के प्रति लड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
46. यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी,सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नहीं करता है मोखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढंग से नहीं करता है तो फार्म प्रशासन के पास यह

अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर लें।

47. एक पार्टी को केवल एक ही खंड का ठेका दिया जायेगा .

घोषणा—

मैंने फार्म में सुरक्षा ठेके की निविदा की नियम व शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाव के पूर्ण होशवसास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

सुरक्षा अधिकारी



# NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

Central State Farm, Suratgar

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञापित क्रमांक सी.एस.एफ./सूरतगढ़/04/सुरक्षा/2018- दिनांक ..... निविदा भेजने हेतु पता:-

सहायक महाप्रबन्धक (फार्म)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज०)

निविदा खोलने की दिनांक :- 28.05.2018 स्थान :- केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

विषय:- केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज०) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञापित में सुरक्षा हेतु 1 वर्ष की अवधि निविदा दिनांक 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक के लिए ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :- .....
2. पिता का नाम :- .....
3. पूरा पता :- .....
4. दूरगाथ / मो० न० :- .....
5. पैन न० :- ..... (प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र न० (वोटर आई डी, आधार कार्ड आदि) ..... (प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क (रु०) 500/- रसीद संख्या ..... दिनांक ..... अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक .....

# NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

Central State Farm, Suratgar

## निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूतगढ़ जिला श्रीगणेशगर (राज.) के अधिकार में सन्दर्भित सुरक्षा ठेके हेतु 1 वर्ष की अवधि निविदा दिनांक 31.07.2018 से 30.06.2019 तक के लिये ठेकों का लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्र. सं०	खण्ड	सुरक्षा हेतु बर्कों का विवरण	धरोहर राशि रूप्यों में (अंको व शब्दों में)
1.	खण्ड 1 यूनिट A	38एसटीजी, 35एसटीजी, 37एसटीजी बी.आर.सी.-1, बी.आर.सी.-1.	₹ 50,000 (₹ 50 हजार मात्र)
2.	खण्ड 1 यूनिट B	39 एसटीजी, 41एसटीजी, 40एसटीजी 42एसटीजी, 44एसटीजी	
3.	खण्ड-2	RPM-1 RPM-2 RPM-3 RPM-4, 33PBN, 31A PBN, 31B PBN	
4.	खण्ड-3	34 PBN, 3 SGM, 4 SGM, 5 SGM	
5.	बाग	EPO (बाग गेट सहित)	₹ 20,000 (बीस हजार रुपये मात्र)
6.	मुख्यालय	मुख्यालय कार्यालय परिसर गेट सहित	

धरोहर राशि का विवरण:-

निविदा विज्ञापन के अनुसार जमा किये गये/ किये जाने वाली राशि का विवरण:-

ठेका	बैंक ड्राफ्ट नं० एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूप्यों में (अंको व शब्दों में)
1.			₹ 50,000 (₹ 50 हजार मात्र)
2.			
3.			
4.			
5.			₹ 20,000 (बीस हजार रुपये मात्र)
6.			

(उपरोक्त दिनांक ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा को सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य हैं। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
(नाम व पूरा पता)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

Central State Farm, Suratgar

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज०) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनांक 01-7-2018 से 30-06-2019 तक ठेके पर देने बाबत (तकनीकी निविदा प्रपत्र)

क्र० सं०	दिनांक	पार्टी का नाम	अनुभव प्रमाण पत्र	आयकर वेलेड, बैंक कार्ड	जी०एस०टी पंजीकरण	लेबर लाईसेंस	सिक्युरिटी लाईसेंस (DGP)	करिव प्रमाण 100/- रुपये स्टाप पर	EPF,ESI पंजीकरण	फर्म पंजीकरण

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मो० न० .....

# NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

Central State Farm, Suratgar

केन्द्रीय राज्य फार्म, चूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनांक 01.7.2018 से 30.06.2019 तक ठेके पर देने बाबत वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रस्तावित राशि रूपयों में

इकाई	01.07.2018 से 30.06.2019 ( एक वर्ष हेतु )
खण्ड- 01यूनिट A	
खण्ड- 01यूनिट B	
खण्ड- 02	
खण्ड- 03	
EPO (भाग)	
मुख्यालय	

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

राज नं0 \_\_\_\_\_